उलंघन पत्र रजि.ए .डी.



भारत सरकार खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट् -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005 फोन- 0771--2282530/2285590/95 <u>मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com</u>

No- CHG/DRG/LST-38CHG05024

दिनांक -16/9/2019

प्रेषिति-

श्री नीरज अखौरी,नामित मालिक सर्वश्री ए सी सी लिमिटेड जमूल सीमेंट वर्क्स,पोस्ट-दुर्ग, जिला-दुर्ग(सी.जी.)-490024

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी नंदिनी-खूंदिनी चूना खदान 53.57 हे. में खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 21.08.2019 by undersigned accompanied by Sri P.P.Pandey, Mine Manager.

Rule	Nature of Violation observed
45(5)(c)(i)	While scrutiny of Annual returns 2018-19 it was observed that
	Mining Engineer Shri Subramani V is also Mining Engineer for two other mines (Medesara
	limestone mine 17.90 ha, MINE CODE 38CHG05003,medesara limestone mine 8.80 ha, MINE
	CODE 38CHG05005 of M/S Singhania minerals Pvt. Ltd.
	The value of fixed asset is given in the annual returns is furnished is on higher side and the
	values is not for given lease and the value includes of other leases as well which is not correct.
Rule 55	For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance
	with these rules,—
	3.every holder of a mining lease shall employ, in case of—
	iii.category 'A' mines, a whole-time mining engineer and a geologist;
	But it was observed that Mining Engineer appointed on 04.04.2019, Shri Sanjay Kumar Sharma
	is also Mining Engineer for two other mines (Medesara limestone mine 17.90 ha, MINE CODE
	38CHG05003,medesara limestone mine 8.80 ha, MINE CODE 38CHG05005 of M/S Singhania
	minerals Pvt. Ltd. A person who is working as a full time Mining Engineer in one mine than how
	he can perform duty of Mine Manager of two other mines.

- इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमो का उल्लंघन खिनज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंड्नीय अपराध है1 एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खिनज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 नियम 45(7)(क) के अंतर्गत
 - (क) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
 - (ख) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है1
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंधनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे1

भवदीय

(राजेश कुमार दास) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया 2 रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर